आई.टी.आर -7 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

e-Filing Anywhere Anytime
Income Tax Department, Government of India

प्रश्न 1:

आई.टी.आर.-7 कौन फ़ाइल कर सकता है?

स्पष्टीकरण:

आई.टी.आर.-7 फ़ॉर्म का उपयोग कंपनियों सहित उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें धारा 139(4A) या धारा 139(4B) या धारा 139(4C) या धारा 139(4D) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रश्न 2:

आई.टी.आर.-7 फ़ाइल करने का क्या तरीका है?

स्पष्टीकरण:

आई.टी.आर.-7 को आयकर विभाग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग वेब पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर फ़ाइल किया जा सकता है और निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से सत्यापित किया जा सकता है–

i. सत्यापन भाग पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, या ii.इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ई.वी.सी.) के माध्यम से प्रमाणित करना, या iii. आधार ओ.टी.पी.

iv. निम्नलिखित पते पर सी.पी.सी. को डाक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कागज़ी फ़ॉर्म आई.टी.आर.-V – आयकर रिटर्न सत्यापन फ़ॉर्म भेजकर– केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु - 560500 कर्नाटक"।

फ़ॉर्म आई.टी.आर.-V-आयकर रिटर्न सत्यापन फ़ॉर्म विवरणी फ़ाइल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए।

केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र पर आई.टी.आर.-V की प्राप्ति का पुष्टिकरण ई-फ़ाइलिंग खाते में पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर निर्धारिती को भेजी जाएगी।
तथापि, एक राजनीतिक पक्ष को अनिवार्य रूप से उपरोक्त उल्लेखित तरीके [i] से विवरणी प्रस्तुत करेगा।
यदि किसी निर्धारिती को धारा 10(23C)(iv),10(23C)(v),10(23C)(vi),10(23C)(via),12A(1)(b), 92E के तहत लेखा परीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है तो धारा 139(1) के तहत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से एक महीना पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी रिपोर्ट फ़ाइल करना आवश्यक होगा।

प्रश्न 3:

आई.टी.आर.-7 के भाग A सामान्य में कौन सी जानकारी भरनी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

भाग A सामान्य में, निर्धारिती की पहचान, वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संचालित किसी भी परियोजना या संस्थान का ब्यौरा, धारा जिसके तहत रिटर्न फ़ाइल किया गया है और धारा जिसके तहत छूट का दावा किया गया है, आयकर अधिनियम के तहत पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन का ब्यौरा आदि से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रश्न 4: **आई.टी.आर.-7 फ़ॉर्म की संरचना क्या है?**

स्पष्टीकरण:

आई.टी.आर.-7 फ़ॉर्म को भाग A, भाग B और अनुसूचियों में बांटा गया है।

भाग-A: सर्वसाधारण की जानकारी

भाग-B: कर प्रभार्य आय के संबंध में कुल आय और कर संगणना की रूपरेखा। अनुसूची- I: धारा 11(2) के अर्थ के अंतर्गत पूर्व वर्ष अर्थात वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत अंतिम वर्षों में संचित/अलग की गई राशि का ब्यौरा।

अनुसूची IA: “धारा 11(3) के अनुसार पहले के निर्धारण वर्षों में कर योग्य संचित आय का ब्यौरा" अनुसूची-D: धारा 11 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (2) के तहत मानद आय के आवेदन का ब्यौरा।

अनुसूची DA: “धारा 11(1B) के अनुसार पहले के निर्धारण वर्षों में कर योग्य मानद आवेदन का ब्यौरा" अनुसूची-J: पूर्व वर्ष के अंतिम दिन ट्रस्ट या संस्थान के सभी निधियों के निवेश को दर्शाने वाला ब्यौरा।

अनुसूची-LA: किसी राजनीतिक दल के मामले में ब्यौरा।

अनुसूची-ET: चुनावी ट्रस्ट के मामले में ब्यौरा

अनुसूची-VC: प्राप्त स्वैच्छिक योगदान का ब्यौरा

भाग A-BS: 31 मार्च 2023 तक आवेदन और निधि के स्रोतों का ब्यौरा

अनुसूची R: अनुसूची J की कॉर्पस राशि का अनुसूची बैलेंस शीट के साथ मिलान

अनुसूची AI: स्वैच्छिक योगदान के अलावा वर्ष के दौरान प्राप्त आय का सकल योग

अनुसूची A: इस तालिका के C1 से C7 में संदर्भित सभी स्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान ट्रस्ट/संस्था की बताई गई वस्तुओं पर प्रयोज्य राशि

अनुसूची IE-1, IE-2, IE-3 और IE-4: आय और खर्च विवरण

अनुसूची-HP: गृह सम्पत्ति से आय शीर्षक के तहत आय की संगणना

अनुसूची-CG: शीर्ष पूँजी अभिलाभ के तहत आय की संगणना

अनुसूची VDA: आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से आय

अनुसूची-OS: अन्य स्रोतों से शीर्ष आय के तहत आय की संगणना

अनुसूची-OA: कारोबार और व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी

अनुसूची-BP: 'कारोबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के तहत आय की संगणना

अनुसूची-CYLA: चालू वर्ष की हानियों के समायोजन के बाद आय का विवरण

अनुसूची PTI: धारा 115UA, 115UB के अनुसार व्यवसाय न्यास या निवेश फ़ंड से पास थ्रू आय का ब्यौरा

अनुसूची-SI: आय का विवरण जो विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है

अनुसूची 115TD: धारा 115TD के तहत अनुवर्धित आय

अनुसूची 115BBI: धारा 115BBI के तहत आने वाले कुछ संस्थानों की निर्दिष्ट आय

अनुसूची FSI: भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय का ब्यौरा

अनुसूची TR: भारत से बाहर भुगतान किए गए करों का ब्यौरा

अनुसूची FA: विदेशी परिसंपत्तियों का ब्यौरा

अनुसूची-SH: किसी असूचीबद्ध कंपनी में शेयरधारिता का विवरण

भाग B-TI: कुल आय की संगणना

i. भाग B1 : प्रयोज्य है यदि धारा 11 और 12 या 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via) के तहत छूट का दावा किया जा रहा है और जहां भाग B3 प्रयोज्य नहीं है

ii. भाग B2 – प्रयोज्य है यदि धारा 13A/13B के तहत और धारा 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24) के तहत छूट का दावा किया जा रहा है

10(46), 10(47) iii. भाग B3 : प्रयोज्य है यदि कुल कर प्रभार्य आय धारा 10(23C) या धारा 13(10) के बाइसवें परंतुक के तहत कर के दायरे में आती है

भाग B-TTI: कुल आयकर भुगतान पर कर दायित्व की संगणना:

1. अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के भुगतान का ब्यौरा 2. आय पर स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) का ब्यौरा (फ़ॉर्म 16A/16B/16C/16D/16E के अनुसार)।

3. स्रोत पर एकत्रित कर (टी.सी.एस.) का ब्यौरा

प्रश्न 5:

ITR-7 में छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य रूप से किन अनुसूचियों को भरना आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा इस रिटर्न फ़ॉर्म की कुछ अनुसूचियां अनिवार्य रूप से भरी जानी आवश्यक हैं विवरणी फ़ॉर्म की कुछ अनुसूचियां अनिवार्य रूप से भरी जानी आवश्यक हैं :-

अनुसूची के साथ धारा के तहत दावा की गई छूट निम्नानुसार है:

a. धारा 13A **(अनुसूची LA) के तहत छूट का दावा करने वाला राजनीतिक दल**
b. चुनावी ट्रस्ट धारा 13B **(अनुसूची ET) के तहत छूट का दावा कर रहा है**
c. धारा 11 और/या 10(23C)(iv) या 10(23C)(v) या 10(23C)(vi) के तहत छूट का दावा करने वाला ट्रस्ट/संस्थान या

   10(23C)(via) **(अनुसूची AI)**
d. निर्धारिती धारा 10(21), 10(21) आर.डब्ल्यू.एस. 35(1) के किसी भी खण्ड के तहत छूट का दावा कर रहा है, 10(22B),10(23AAA), 10(23B),10(23FB), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED),

   10(23EE),10(29A),10(46), 10(47) **(अनुसूची IE 1)**
e. धारा 10(23A), 10(24) **(अनुसूची IE 2) के तहत छूट का दावा करने वाला निर्धारिती**
f. धारा 10(23C)(iiiab) या 10(23C)(iiiac) **(अनुसूची IE 3) के तहत छूट का दावा करने वाला निर्धारिती**
g. धारा 10(23C)(iiiad) या 10(23C)(iiiae) **(अनुसूची IE 4) के तहत छूट का दावा करने वाला निर्धारिती**

प्रश्न 6:

क्या निर्धारिती द्वारा संचालित किसी परियोजना/संस्थान के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता है?

स्पष्टीकरण:

हाँ, नाम, गतिविधि की प्रकृति, वर्ष के दौरान चलाए जा रहे स्कूल/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अस्पताल/अनुसंधान संस्थान के पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे के साथ वर्गीकरण।
यदि निर्धारिती द्वारा एक से अधिक परियोजनाएं आदि चलाई जा रही हैं, तो कृपया ऐसी सभी परियोजनाओं के नाम अलग-अलग पंक्तियों में उल्लेख करें।

प्रश्न 7:

ऐसी कौन से क्रियाकलाप हैं जिनमें संस्थान शामिल हो सकता है?

स्पष्टीकरण:

निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों में संस्था शामिल हो सकती है:

धर्मार्थ एवं धार्मिक:

A गरीबों की राहत

B शिक्षा

C चिकित्सीय सहायता

D पर्यावरण संरक्षण (जलविभाजकों, वनों और वन्य जीवन सहित)

E स्मारकों या स्थानों या कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण या ऐतिहासिक हित F सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य

G योग H
धार्मिक

अनुसंधान:

A वैज्ञानिक अनुसंधान B
सामाजिक अनुसंधान

C सांख्यिकीय अनुसंधान

D कोई अन्य अनुसंधान

समाचार एजेंसी व्यावसायिक निकाय:

A कानून

B दवा

C अकाउंटन्सी

D अभियांत्रिकी

E वास्तुकला

F कंपनी सचिव

G रसायन शास्त्र

H सामग्री प्रबंधन

I नगर नियोजन

J कोई अन्य व्यवसाय

व्यापार संघ

राजनीतिक दल

चुनावी ट्रस्ट अन्य :

A धारा 10(46) के तहत किसी निकाय/प्राधिकारी/बोर्ड/ट्रस्ट/कमीशन को उत्पन्न होने वाली निर्दिष्ट आय B धारा 10(47) के तहत आधारभूत संरचना ऋण निधि

प्रश्न 8: **क्या मुझे पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण या प्राप्त अनुमोदन का ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?**

स्पष्टीकरण:
कृपया आयकर अधिनियम के तहत पंजीकरण/अनंतिम पंजीकरण या अनुमोदन से संबंधित पूर्ण और सही ब्यौरा भरें। यदि निर्धारिती एक से अधिक धारा के तहत पंजीकृत/अनंतिम रूप से पंजीकृत या अनुमोदित है, तो निर्धारिती को उस पंजीकरण धारा को इंगित करना होगा जिसके तहत रिटर्न में छूट का दावा किया गया है। इस तरह के ब्यौरा में कोई भी भूल छूट के दावे को इनकार कर सकती है, यदि कोई हो।

प्रश्न 9:
फ़ील्ड "धारा के तहत पंजीकृत/अनंतिम रूप से पंजीकृत या अनुमोदित/अधिसूचित किया गया है" के लिए चुने जाने वाले ड्रॉपडाउन क्या हैं?

स्पष्टीकरण:
वह धारा दर्ज करें जिसके तहत आयकर अधिनियम के तहत पंजीकृत/अनंतिम रूप से पंजीकृत या अनुमोदित/अधिसूचित किया गया है।
कृपया प्रयोज्य ड्रॉपडाउन का चयन करके निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें:-

1. 10(23AAA)
2. 10(23C)(iv)
3. 10(23C)(v)
4. 10(23C)(vi)
5. 10(23C)(via)
6. 12A/12AA/12AB
7. 13B
8. 35
9. 80G(2)(b)
10. 80G(2)(a)(iv)
11. धारा 80G के तहत उपरोक्त के अलावा

प्रश्न 10: **किस धारा के तहत रिटर्न फ़ाइल की जा सकती है?**

स्पष्टीकरण:
धारा जिसके तहत आई.टी.आर.-7 रिटर्न फ़ाइल किया जा सकता है – (a) यदि नियत तिथि पर या उससे पहले स्वेच्छा से फ़ाइल किया जाता है, 139(1)
(b) यदि नियत तिथि के बाद स्वेच्छा से फ़ाइल किया गया हो, 139(4)
(c) यदि यह संशोधित रिटर्न है, 139(5)

(d) यदि यह परिवर्तित रिटर्न है, 92(CD)
(e) यदि विलंब को क्षमा किए जाने के लिए धारा 119(2)(b) के तहत आदेश के अनुसरण में फ़ाइल किया गया है, 119(2)(b) (f) यदि यह एक अद्यतित रिटर्न है, 139(8A)

प्रश्न 11:**क्या आई.टी.आर.-7 सूचना/आदेश की प्रतिक्रिया में फ़ाइल किया जा सकता है?**

स्पष्टीकरण:
हाँ, यदि रिटर्न वैधानिक सूचना की प्रतिक्रिया में या धारा 119(2)(b) के तहत देरी को माफ करने वाले आदेश के अनुसरण में फ़ाइल किया जा रहा है, अनन्य संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या (डी.आई.एन.) और सुसंगत वैधानिक नोटिस की तिथि, या क्षमा आदेश की तिथि दर्ज़ करें या यदि 92CD के तहत फ़ाइल किया गया है तो अग्रिम मूल्य निर्धारण सहमति की तिथि दर्ज करें।

प्रश्न 12: **क्या मुझे आई.टी.आर.-7 में आवासीय स्थिति का उल्लेख करने की आवश्यकता है?**

स्पष्टीकरण:
हाँ, कृपया भारत में आवासीय स्थिति विनिर्दिष्ट करें चाहे वह निवासी हो या अनिवासी।

प्रश्न 13:
क्या मुझे कुल आय में शामिल आय का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिसके लिए धारा 90/90A/91 के तहत दावा किया गया है?

स्पष्टीकरण:
हाँ, इंगित करें कि क्या कोई विदेशी स्रोत आय कुल आय में शामिल है जिसके संबंध में भारत से बाहर भुगतान किए गए करों के लिए धारा 90 या 91 या 90A के तहत राहत का दावा किया गया है।
कृपया क्रमशः अनुसूची FSI और अनुसूची TR में दावा की गई ऐसी आय और कर अवमुक्ति का ब्यौरा भरें।

प्रश्न 14: **क्या कोई प्रतिनिधि निर्धारिती ITR-7 फ़ाइल कर सकता है?**

स्पष्टीकरण:
हाँ, यदि विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फ़ाइल किया जा रहा है, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें:- (a) प्रतिनिधि का नाम
(b) प्रतिनिधि की क्षमता
(c) प्रतिनिधि का पता
(d) प्रतिनिधि का पैन/आधार संख्या

प्रश्न 15:

पूर्व वर्ष में, मैं एक फर्म में भागीदार था, क्या मुझे आई.टी.आर.-7 में यह सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है?

स्पष्टीकरण:

यदि आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी फर्म में भागीदार थे, तो कृपया फर्म का नाम और पैन प्रस्तुत करें।

प्रश्न 16:

यदि ट्रस्ट के पास पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर हैं तो क्या सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यदि आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को धारित किया है, तो कृपया 'हां' पर टिक करें और कंपनी का नाम, प्रकार और पैन, प्रारंभिक शेष, वर्ष के दौरान अधिग्रहित/स्थानांतरित शेयरों और अंतिम शेष के बारे में जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रश्न 17:

क्या किसी परियोजना/संस्था को व्यापार की प्रकृति, वाणिज्य या कारोबार में किसी भी गतिविधि में भागीदारी का प्रतिशत (%) विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

हाँ, परियोजना/संस्था को व्यापार की प्रकृति, वाणिज्य या कारोबार में किसी भी गतिविधि में भागीदारी का प्रतिशत (%) विनिर्दिष्ट करना आवश्यक है जब आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ उद्देश्यों में से एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है।

प्रश्न 18: **क्या ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं?**

स्पष्टीकरण:

पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या आप आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी लेखा बहियों की लेखा-परीक्षा कराने के लिए उत्तरदाई हैं।

यदि हां, तो आयकर अधिनियम के उस विनिर्दिष्ट व्यवस्था का उल्लेख करें जिसके तहत आप अपने खातों की लेखा परीक्षा कराने के लिए उत्तरदाई हैं। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को अनिवार्य करने वाले कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. 10(23C) (iv), **2.** 10(23C)(v), **3.** 10(23C)(vi), **4.** 10(23C) (via) **5**. 12A(1)(b) **6**. 92E **7.** अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)।

प्रश्न 19:

लेखा-परीक्षक का कौन सा ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

लेखा-परीक्षक का निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें:

1. कर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले ऑडिटर का नाम
2. ऑडिटर की सदस्यता संख्या.
3. लेखा-परीक्षक का नाम (प्रोपराइटरशिप/फर्म)
4. स्वामित्व/फर्म का स्थाई खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर
5. ऑडिट की रिपोर्ट की तिथि
6. ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि
7. यदि आयकर अधिनियम के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदाई है, अधिनियम का नाम, अनुभाग और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि।

प्रश्न 20: लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि क्या है?

स्पष्टीकरण:

अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और विनिर्दिष्ट घरेलू लेन-देन के मामले में फ़ॉर्म 10B या फ़ॉर्म 10BB या फ़ॉर्म 3CEB धारा 139(1) के तहत रिटर्न फ़ाइल करने की नियत तिथि से कम से कम एक महीना पूर्विक फ़ाइल किया जाना चाहिए।

प्रश्न 21: फ़ॉर्म 10B फ़ाइल करने की क्या प्रयोज्यता है?

स्पष्टीकरण:

फ़ॉर्म 10B ऐसी परिस्थितियों में फ़ाइल करना होगा, जहाँ-

i. आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 और 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना कुल आय पूर्व वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये से अधिक है; या

ii. पूर्व वर्ष के दौरान कोई विदेशी योगदान प्राप्त हुआ हो; या

iii. इसकी आय का कोई भी भाग पूर्व वर्ष के दौरान भारत से बाहर प्रयोज्य किया गया है।

प्रश्न 22: फ़ॉर्म 10BB फ़ाइल करने की क्या प्रयोज्यता है?

स्पष्टीकरण:

फ़ॉर्म 10BB को वहां फ़ाइल करने की आवश्यकता है, जहां आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 और 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) के प्रावधानों को प्रयोज्य किए बिना कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो लेकिन पूर्व वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है।

प्रश्न 23: आयकर अधिनियम के अलावा वे कौन से विभिन्न अधिनियम हैं जिनमें निर्धारिती को लेखा बहियों की लेखा परीक्षा करवाना आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यदि आपके खातों को किसी अन्य कानून (आयकर अधिनियम के अलावा) के तहत लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता है, तो लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाले सुसंगत व्यवस्था का चयन करें और ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि का उल्लेख करें।

लेखा-परीक्षा को अनिवार्य करने वाली अन्य विधियों की सूची:-

1) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010
2) कम्पनी अधिनियम, 2013
3) भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
4) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
6) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944
7) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
8) केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
9) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1920
10) बिजली अधिनियम, 2003
11) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952
12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
13) सरकारी अधिवार्षिकी निधि अधिनियम, 1956
14) एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
15) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008
16) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972
17) सेबी अधिनियम, 1992
18) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
19) राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
20) केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017
21) कोई अन्य कानून

प्रश्न 24:

क्या ट्रस्ट के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा निर्दिष्ट करना अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण:

हाँ, कृपया अनुसूची J क्रमांक A, B, C, D, E भरें (जैसा प्रयोज्य हो)

प्रश्न 25:

अनुसूची R में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

अनुसूची बैलेंस शीट के साथ अनुसूची J के कॉर्पस का मिलान करने के लिए कृपया अनुसूची R भरें

प्रश्न 26:

अनुसूची IA में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

कृपया धारा 11(3) के अनुसार अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में संचित आय पर कर का ब्यौरा भरें।

प्रश्न 27:

अनुसूची DA में कौन सी सूचना देनी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

कृपया धारा 11(1B) 28 के अनुसार पूर्व निर्धारण वर्षों में कर योग्य मान्य प्रयोग का ब्यौरा भरें:

क्या बैलेंस शीट फ़ाइल करना अनिवार्य है?

स्पष्टीकरण:

आई.टी.आर. 7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा बैलेंस शीट अनिवार्य रूप से फ़ाइल की जानी चाहिए।
कृपया 31 मार्च, 2023 तक बैलेंस शीट मदों का ब्यौरा भरें, जिसमें निधियों के स्रोतों और निधियों के आवेदन का ब्यौरा शामिल हो।

प्रश्न 29:

धारा 13A के तहत छूट के दावे के लिए कौन सा ब्यौरा प्रदान किया जाना है?

स्पष्टीकरण:

i. जिस धारा के तहत छूट का दावा किया गया है उसका उल्लेख अनुसूची भाग A में धारा 13A के रूप में किया जाना चाहिए
सामान्य ii. आय का उल्लेख आय के सभी शीर्षों और अनुसूची VC के तहत किया जाना चाहिए iii. बी.पी. आय पर छूट अनुज्ञेय नहीं है iv. आय की विवरणी धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर फ़ाइल की जानी चाहिए v. अनुसूची LA भरी जानी चाहिए।

vi. धारा 13A में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
vii. छूट की राशि को अनुसूची भाग B TI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ किया जाना चाहिए

प्रश्न 30:

धारा 13B के तहत छूट के दावे के लिए कौन सा ब्यौरा प्रदान किया जाना है?

स्पष्टीकरण:

i. धारा 13B के तहत पंजीकरण ब्यौरा अनुसूची भाग A सामान्य में उल्लिखित किया जाना चाहिए
ii. जिस धारा के तहत छूट का दावा किया गया है उसका उल्लेख अनुसूची भाग A में धारा 13B के रूप में किया जाना चाहिए
सामान्य iii. स्वैच्छिक योगदान पर छूट अनुज्ञेय है
iv. अनुसूची ET भरी जानी चाहिए और नियम 17CA के साथ पठित धारा 13B में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए
v. छूट की राशि को अनुसूची भाग B TI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ किया जाना चाहिए

प्रश्न 31:

कम्पनी, स्थानीय प्राधिकारी, राजनीतिक दल या ए.ओ.पी. के मामले में आयकर विवरणी को कौन सत्यापित कर सकता है?

स्पष्टीकरण:

निम्नलिखित मामलों में आयकर विवरणी को सत्यापित करने वाले व्यक्ति हैं:

कम्पनी– प्रबंध निदेशक. यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई प्रबंध निदेशक नहीं है, तो कम्पनी का कोई अन्य निदेशक रिटर्न सत्यापित कर सकता है।

स्थानीय प्राधिकारी– प्रधान अधिकारी।

राजनीतिक दल- ऐसे दल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चाहे वह सचिव या किसी अन्य पदनाम से जाना जाता हो।

कोई अन्य संघ- संघ का कोई सदस्य या उसका प्रधान अधिकारी।

कोई अन्य व्यक्ति– वह व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने के लिए समर्थ किसी व्यक्ति द्वारा।

प्रश्न 32:

अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट के दावे के लिए कौन सा ब्यौरा प्रदान किया जाना है?

स्पष्टीकरण:

i. धारा 12A/12AB के तहत पंजीकरण/अनुमोदन ब्यौरा अनुसूची भाग A सामान्य ii में भरा जाना चाहिए। आय को अनुसूची AI और अनुसूची VC में, जैसा प्रयोज्य हो, प्रकटित किया जाना चाहिए

iii. आय का अनुप्रयोग – राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को अनुसूची A में प्रकटित किया जाना चाहिए। iv.अनुसूची A में दावा की गई धारा 11(1A) के तहत छूट, इसमें प्रकटित शुद्ध प्रतिफल से अधिक नहीं हो सकती अनुसूची AI

v. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फ़ॉर्म 10B/10BB में लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन किया जाना चाहिए।

vi. अनुज्ञेय छूट राशि को भाग B TI के भाग B1 के सुसंगत कॉलम में, जैसा प्रयोज्य हो, दर्ज़ किया जाना चाहिए

vii. यदि स्पष्टीकरण 11(1) के तहत छूट – मानद आवेदन का दावा किया गया है – फ़ॉर्म 9A को धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया जाना है।

viii. यदि संचय के लिए धारा 11(2) के तहत छूट का दावा किया गया है – तो धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फ़ॉर्म 10 को नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया जाना है।

ix. यदि ट्रस्ट का प्रयोजन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है - अनुसूची भाग A सामान्य (2) में उल्लिखित कुल प्राप्तियाँ और ऐसी गतिविधि का प्रतिशत {धारा 2(15) के परंतुक में संदर्भित} और ऐसी गतिविधि की प्राप्तियों का प्रतिशत गतिविधियों ट्रस्ट/संस्था की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए

प्रश्न 33:

अधिनियम की धारा 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत छूट के दावे के लिए प्रदान किया जाने वाला ब्यौरा क्या हैं?

स्पष्टीकरण:

i. धारा 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via) के तहत पंजीकरण/अनुमोदन ब्यौरा अनुसूची भाग A में भरा जाना चाहिए सामान्य ii. आय को अनुसूची AI और अनुसूची VC में, जैसा प्रयोज्य हो, प्रकटित किया जाना चाहिए

iii. आय का अनुप्रयोग – राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को अनुसूची A में प्रकटित किया जाना चाहिए। iv.अनुसूची A में दावा की गई धारा 11(1A) के तहत छूट, इसमें प्रकटित शुद्ध प्रतिफल से अधिक नहीं हो सकती अनुसूची AI

v. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फ़ॉर्म 10B/10BB में लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुपालन किया जाना चाहिए।

vi. अनुज्ञेय छूट राशि को भाग B TI के भाग B1 के सुसंगत कॉलम में, जैसा प्रयोज्य हो, दर्ज़ किया जाना चाहिए

vii. यदि संचय के लिए धारा 10(23C) के तीसरे परंतुक के तहत छूट का दावा किया गया है – तो धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फ़ॉर्म 10 को नियत तिथि के भीतर फ़ाइल किया जाना है।

viii. यदि ट्रस्ट का प्रयोजन सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति है - अनुसूची भाग A सामान्य (2) में उल्लिखित कुल प्राप्तियाँ और ऐसी गतिविधि का प्रतिशत {धारा 2(15) के परंतुक में संदर्भित} और ऐसी गतिविधि की प्राप्तियों का प्रतिशत गतिविधियों ट्रस्ट/संस्था की कुल प्राप्तियों के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए

प्रश्न 34:

धारा: 10(21), 10(21) आर.डब्ल्यू.एस. 35, 10(22B), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(47) के तहत छूट का दावा करने के लिए आवश्यक ब्यौरा क्या हैं? ?

स्पष्टीकरण:

छूट का दावा करने के लिए आवश्यक ब्यौरा:

1. जिस धारा के तहत छूट का दावा किया गया है उसका अनुसूची भाग A सामान्य में सही ढंग से उल्लेख किया जाना चाहिए
2. प्राप्तियाँ अनुसूची – IE1 और/या अनुसूची VC, जैसा प्रयोज्य हो, में प्रकटित किया जाना चाहिए
3. छूट की राशि अनुसूची भाग BTI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ की जानी चाहिए

प्रश्न 35:

यदि आप धारा 10(23A) या 10(24) के तहत छूट का दावा कर रहे हैं तो आय और व्यय विवरण में कितनी आय की सूचना दी जाने की आवश्यकता है?

स्पष्टीकरण:

अनुसूची IE-2 में:

भाग A में, स्वैच्छिक योगदान, संस्था के उद्देश्य के लिए प्रयोग और संबंधित क्षेत्रों में आय के संचय सहित कुल प्राप्तियों की रिपोर्ट करें। टी.डी.एस. क्रेडिट का दावा करने के लिए सभी प्राप्तियों का प्रकटन अनिवार्य है।

भाग B में, ”गृह संपत्ति”, ”कारोबार या व्यवसाय”, “पूँजी अभिलाभ“ और “अन्य स्रोत“ के तहत पूर्व वर्ष के लिए कराधेय आय का ब्यौरा, यदि कोई हो, रिपोर्ट करें और सुसंगत आय अनुसूचियों में ब्यौरा प्रदान करें।

प्रश्न 36:

वे कौन सी आय हैं जिन पर धारा 10(23A) के तहत संदर्भित निर्धारिती को छूट उपलब्ध नहीं है?

स्पष्टीकरण:

गृह सम्पत्ति से आय और ब्याज या लाभांश से आय पर छूट **प्रयोज्य नहीं** है। इन आय को संबंधित आय अनुसूचियों में दर्ज़ किया जाना चाहिए और उस पर कर संगणित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 37:

वे कौन सी आय हैं जिन पर धारा 10(24) के तहत संदर्भित पंजीकृत व्यापार यूनियनों और व्यापार यूनियनों के संघ को छूट उपलब्ध नहीं है?

स्पष्टीकरण:

कारोबार और व्यवसायों से आय और पूँजी अभिलाभ से आय पर छूट **प्रयोज्य नहीं** है। इन आय को संबंधित आय अनुसूचियों में दर्ज़ किया जाना चाहिए और उस पर कर संगणित किया जाना चाहिए।

प्रश्न 38:

कोई ट्रस्ट/संस्थान धारा 10(23C)(iiiab) या 10(23C)(iiiac) के तहत छूट के लिए कब पात्र होगा?

स्पष्टीकरण:

ट्रस्ट/संस्थान धारा 10(23C)(iiiab) या 10(23C)(iiiac) के तहत छूट के पात्र हैं, यदि प्राप्त सरकारी अनुदान स्वैच्छिक योगदान सहित कुल प्राप्तियों का **50%** से अधिक है। अनुसूची IE-3 में उल्लिखित ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

1. कृपया संस्था का उद्देश्य निर्दिष्ट करें और पूरा पता बताएं जहां गतिविधियां की जा रही हैं।
2. किसी भी स्वैच्छिक योगदान सहित कुल प्राप्तियों, कुल प्राप्तियों में से सरकारी अनुदान, संस्था के उद्देश्य के लिए आवेदन और संबंधित कॉलम में आय के संचय की रिपोर्ट करें।

यदि TDS जमा का दावा किया गया है तो सभी प्राप्तियों का खुलासा अनिवार्य है। स्वीकार्य छूट की राशि अनुसूची भाग BTI के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ की जानी चाहिए।

प्रश्न 39:

कोई ट्रस्ट/संस्थान धारा 10(23C)(iiiad) या 10(23C)(iiiae) के तहत छूट के लिए कब पात्र होगा?

स्पष्टीकरण:

i. यदि कुल वार्षिक प्राप्ति की राशि 5 करोड़ रुपये से **अधिक नहीं है तो ट्रस्ट/संस्था छूट के लिए पात्र होगी**।
ii. प्राप्तियों को अनुसूची IE 4 और/या अनुसूची VC, जैसा प्रयोज्य हो, में प्रकट किया जाना चाहिए। iii.अनुज्ञेय छूट राशि को अनुसूची के भाग B2 के सुसंगत कॉलम में दर्ज़ किया जाना चाहिए
Part B TI

प्रश्न 40:

अनुसूची VC में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

स्वैच्छिक योगदान [आई.टी.आर.-7 फ़ाइल करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना है]
घरेलू योगदान (धारा 115BBC के तहत कराधेय गुप्त दान के अलावा)
विदेशी योगदान (धारा 115BBC के तहत कराधेय गुप्त दान के अलावा)

कुल योगदान (Aiii + Biii)
गुप्त दान, धारा 115BBC के तहत कराधेय {धारा 11 अथवा धारा 10[23C)(iv) अथवा 10[23C][v] अथवा 10[23C)(vi) अथवा 10[23C)(via) अथवा 10[23C][iiiad] अथवा 10[23C][iiiae] के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए प्रयोज्य}

प्रश्न 41:
अनुसूची AI में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:
अनुसूची AI में स्वैच्छिक अभिदायों को छोड़कर पूर्व वर्ष के दौरान आय का योग [धारा 11 और 12 या धारा 10(23C)(iv) या 10(23C)(v) या 10(23C)(vi) या 10(23C)(via) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाना चाहिए] प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न 42:
अनुसूची A में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:
अनुसूची A में, इस तालिका [धारा 11 और 12 या धारा 10(23C)(iv) या 10(23C)(v) या 10(23C)(vi) या 10(23C)(via) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा भरा जाना है] के C1 से C7 में संदर्भित सभी स्रोतों से पूर्व वर्ष के दौरान ट्रस्ट/संस्था की बताई गई वस्तुओं पर लागू राशि प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रश्न 43:
अनुसूची IE-1 में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:
आय और व्यय का विवरण [धारा 10(21), 10(21) आर.डब्ल्यू.एस. 35(1), 10(22B), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(47) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों के लिए प्रयोज्य।

प्रश्न 44:
अनुसूची IE-2 में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:
आय और व्यय का विवरण [धारा 10(23A), 10(24) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती के लिए प्रयोज्य]।

प्रश्न 45:

अनुसूची IE-3 में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

आय और व्यय का विवरण [धारा 10(23C)(iiiab) या 10(23C)(iiiac) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती के लिए प्रयोज्य] (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता भरें)।

प्रश्न 46:

अनुसूची IE-4 में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

आय और व्यय का विवरण [धारा 10(23C)(iiiad) या 10(23C)(iiiae) के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती के लिए प्रयोज्य] (कृपया प्रत्येक संस्थान के लिए अलग से पता भरें)।

प्रश्न 47:

अनुसूची OA में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यदि "कारोबार और व्यवसाय" शीर्ष के तहत कोई आय है, तो कृपया इस अनुसूची में वर्ष के दौरान ऐसी कारोबार गतिविधि से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे कारोबार की प्रकृति, लेखा पद्धति, स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति आदि प्रस्तुत करें।

प्रश्न 48:

अनुसूची VDA में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

कृपया आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय का ब्यौरा भरें।

प्रश्न 49:

अनुसूची SI में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

इस अनुसूची में, कृपया कुल आय का हिस्सा होने वाली आय की रिपोर्ट करें, जिस पर कॉलम (i) में विशेष दरों पर कर के लिए प्रभार्य है और कॉलम (ii) में ऐसी विशेष दरों पर प्रभार्य कर लगाया जा सकता है।विभिन्न प्रकार की आय के तहत राशि को प्रत्येक प्रकार की आय के विरुद्ध दर्शाई गई सुसंगत अनुसूचियों में उल्लिखित राशि से लिया जाना चाहिए।

प्रश्न 50:

अनुसूची 115TD में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यह अनुसूची "निर्दिष्ट व्यक्ति" द्वारा भरी जानी चाहिए, जहां धारा 115TD की उप-धारा (1) के खण्ड (a), (b) या (c) में उल्लिखित कोई भी घटना पूर्व वर्ष के दौरान हुई हो।

"निर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ है—

(a) उप-खण्ड (iv) या उप-खण्ड (v) या उप-खण्ड (vi) या उप-खण्ड (via) में संदर्भित कोई निधि या संस्थान या ट्रस्ट या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान धारा 10 के खण्ड (23C) का; या

(b) धारा 12AA या धारा 12AB के तहत पंजीकृत ट्रस्ट या संस्था।

प्रश्न 51:

क्या "सभी लेखक(कों)/संस्थापक(कों)/व्यवस्थापक(कों)/ट्रस्टी(यों)/समाज के सदस्य/शासी परिषद के सदस्य/निदेशक(कों)/ 5% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक/ पदाधिकारी(यों) का पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय का ब्यौरा?" प्रस्तुत करना अनिवार्य है

स्पष्टीकरण:

हाँ, यह जानकारी अनिवार्य रूप से भाग A-सामान्य में "लेखकों या संस्थापकों या व्यवस्थापकों या ट्रस्टीयों या समाज के सदस्य या शासी परिषद के सदस्य/निदेशकों/ 5% या अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक/ पदाधिकारियों का पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय का ब्यौरा" उल्लेख करते हुए भरी जानी आवश्यक है।

प्रश्न 52:

अनुसूची 115BBI में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यह अनुसूची केवल धारा 11 और 12 या धारा 10(23C)(iv) या 10(23C)(v) या 10(23C)(vi) या 10(23C)(via)] के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा धारा 115BBI के तहत आने वाले कुछ संस्थानों की निर्दिष्ट आय की रिपोर्ट करने के लिए भरी जा सकती है।

प्रश्न 53:

भाग B3 (भाग B TI) में कौन सी सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक है?

स्पष्टीकरण:

यह अनुसूची केवल धारा 11 और 12 या धारा 10(23C)(iv) या 10(23C)(v) या 10(23C)(vi) या 10(23)(via)] के तहत छूट का दावा करने वाले निर्धारिती द्वारा भरी जा सकती है और धारा 10(23C) या धारा 13(10) के बाईसवें परंतुक के प्रावधान प्रयोज्य हैं।

इसके अलावा, करदाता को धारा 10(23C) या धारा 13(10) के बाईसवें परंतुक के अनुसार कुल कर प्रभार्य आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है।